क्रम-संख्या—567

रजि0 नं0 एल. डब्ल्यू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 21 अगस्त, 1991

श्रावण 30, 1913 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1518/सत्रह-वि-1—1 (क) 19-1991

लखनऊ, 21 अगस्त, 1991

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 पर दिनांक 20 अगस्त, 1991 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1991 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1991

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1991)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) धारा 2 दिनांक 6 अप्रैल, 1991 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 की धारा 33-क का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 33-क में—

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्—

"(1-क) समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1981 के पैरा 2 के अनुसार किसी मौलिक रिक्ति में तदर्थ आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त ऐसे प्रत्येक अध्यापक को, जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबन्धों के अधीन विहित अर्हतायें रखता है या जिसे उसके उपबन्धों के अनुसार ऐसी अर्हताओं से छूट दी गयी है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारम्भ के दिनांक से मौलिक रूप में नियुक्त समझा जायगा, बशर्ते ऐसा अध्यापक ऐसी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक से ऐसे प्रारम्भ के दिनांक तक संस्था में निरन्तर कार्य करता रहा हो।

(1-ख) समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1981 के पैरा 2 के अनुसार सर्टिफिकेट आफ टीचिंग ग्रेड में 12 जून, 1985 के पश्चात् और 13 मई, 1989 से पूर्व किसी मौलिक रिक्ति में तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त ऐसे प्रत्येक अध्यापक को, जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबन्धों के अधीन विहित अर्हतायें रखता है या जिसे उसके उपबन्धों के अनुसार ऐसी अर्हताओं से छूट दी गयी है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारम्भ के दिनांक से मौलिक रूप में नियुक्त समझा जायेगा, बशर्ते ऐसा अध्यापक ऐसी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक से ऐसे प्रारम्भ के दिनांक तक संस्था में निरन्तर कार्य करता रहा हो।

(1-ग) धारा 18 के अनुसार किसी मौलिक रिक्ति में तदर्थ आधार पर 31 जुलाई, 1988 के पूर्व पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त ऐसे प्रत्येक अध्यापक को, जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबन्धों के अधीन विहित अर्हतायें रखता है या जिसे उसके उपबन्धों के अनुसार ऐसी अर्हताओं से छूट दी गयी है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारम्भ के दिनांक से मौलिक रूप से नियुक्त समझा जायेगा, बशर्ते ऐसा अध्यापक ऐसी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक से ऐसे प्रारम्भ के दिनांक तक संस्था में निरन्तर कार्य करता रहा हो।"

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) या (1-क) या (1-ख) या (1-ग) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त समझे गये प्रत्येक अध्यापक को यथास्थिति उपधारा (1) या (1-क) या (1-ख) या (1-ग) में निर्दिष्ट प्रारम्भ के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायगा।"

(ग) उपधारा (3) में, खण्ड (क) में, शब्द "ऐसे प्रारम्भ" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, उपधारा (1) या (1-क) या (1-ख) या (1-ग) में निर्दिष्ट प्रारम्भ" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1991 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

नारायण दास,

सचिव।

No, 1518 (2)/XVII-V-1—1 (KA)19-1991

Dated Lucknow, August 21, 1991

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Seva Ayog Aur Chayan Board (Sanshodhan) Adhiniyam, 1991 (Uttar Pradesh Adhiniyam, Sankhya 26 of 1991) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 20, 1991.

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES COMMISSION AND SELECTION BOARDS (AMENDMENT) ACT, 1991

(U. P. Act No. 26 of 1991)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards Act, 1982.

It is hereby enacted in the Forty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1991.

(2) Section 2 shall be deemed to have come into force on April 6, 1991 and the remaining provisions shall come into force atonce.

Amendment of section 33-A of U. P. Act no. 5 of 1982

2. In section 33-A of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards Act, 1982, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) *after* sub-section (1), the following sub-sections shall be *inserted*, namely :—

"(1-A) Every teacher appointed by promotion, on *ad-hoc* basis against a substantive vacancy in accordance with paragraph 2 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission (Removal of Difficulties) Order, 1981, as amended from time to time, who possesses the qualifications prescribed under, or is exempted from such qualifications in accordance with the provisions of, the Intermediate Education Act, 1921 shall, with effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1991, be deemed to have been appointed in a substantive capacity provided such teacher has been continuously serving the institution from the date of such *ad-hoc* appointment to the date of such commencement.

(1-B) Every teacher directly appointed after June 12, 1985 and before May 12, 1989 on *ad-hoc* basis against a substantive vacancy in the Certificate of Teaching grade, in accordance with paragraph 2 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission (Removal of Difficulties) Order, 1981, as amended from time to time, who possesses the qualifications prescribed under, or is exempted from such qualifications in accordance with the provisions of, the Intermediate Education Act, 1921 shall, with effect from the commencement of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1991, be deemed to have been appointed in a substantive capacity provided such teacher has been continuously serving the institution from the date of such *ad-hoc* appointment to the date of such commencement.

(1-C) Every teacher appointed by promotion or by direct recruitment before July 31, 1988 on *ad-hoc* basis against a substantive vacancy in accordance with section 18, who possesses the qualifications prescribed

under, or is exempted from such qualifications in accordance with the provisions of the Intermediate Education Act, 1921 shall, with effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Act, 1991 be deemed to have been appointed in a substantive capacity provided such teacher has been continuously serving the institution from the date of such *ad-hoc* appointment to the date of such commencement.";

(*b*) *for* sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted*, namely--

"(2) Every teacher deemed to have been appointed in a substantive capacity under sub-section (1) or (1-A) or (1-B) or (1-C), shall be deemed to be on probation from the date of commencement referred to in sub-section (1) or (1-A) or (1-B) or (1-C) as the case may be.";

(*c*) in sub-section (3), in clause (*a*), *for* the words "such commencement", the words "commencement referred to in sub-section (1) or (1-A) or (1-B) or (1-C), as the case may be" shall be *substituted*.

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards (Amendment) Ordinance, 1991 is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 28 of 1991

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 146 ला० (विधा०)--(1268)--1991--850 (मै०)।